वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कोटला
तहसील– बड़कोट जिला– उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बड़कोट से कोटला मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (2.6740 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.3675 हे0 सिविल सोयम भूमि, ---- हे0, वन पंचायत भूमि ------ हे0) अर्थात कुल 3.0415 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 बड़कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोटला द्वारा दिनांक...............को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोटला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0 नि0 वि0 बड़कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत कोटला, वि0ख0 नौगाँव (उत्तरकाशी)) ह0/– ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 15/12/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कोटला

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम		हस्ताक्षर
1	उपेन्द्रसिंह पंवार ग्राम	धौंताली	[illegible]
2.	सोवतसिंह पुत्र सुरतसिंह	"	सावनसिंह
3.	सुन्दरसिंह ग्राम	जखाली	[illegible]
4.	कृपचन्दसिंह "	"	[illegible]
5	पूरनसिंह "	धौंताली	[illegible]
6.	दर्शियानसिंह "	जखाली	[illegible]
7	अतोलसिंह "	"	अतोलसिंह
8.	विरेन्द्रसिंह "	धौंताली	वरिन्द्रसिंह
9.	रमेशलाल "	कोटला	रमेशलाल
10.	जयवीरसिंह "	धौंताली	जयवीर सिंह
11	शैलेन्द्रसिंह "	"	शैलेन्द्र सिंह
12.	सोबेन्द्रसिंह "	जखाली	[illegible]
13.	आशारामसिंह "	"	आशाराम
14.	सेजमसिंह "	धौंताली	[illegible]
15	जगतसिंह "	जखाली	[illegible]
16.	रामकलासिंह "	जखाली	रामकलासिंह
17	सोवनदास "	जखाली	सोवनदास
18.	प्रेमसिंह चौहान "	धुण्ड	प्रेमसिंह
19	आजादसिंह "	धौंताली	आजाद
20.	देवेन्द्रसिंह "	धुण्ड	देवेन्द्रसिंह
21	दर्शियानसिंह चौहान	धुण्ड	दर्शियान
22.	सुखवीरसिंह	धुण्ड	[illegible]
23	सोवनसिंह चौहान	धुण्ड	[illegible]
24.	बचनसिंह चौहान	धुण्ड	बचनसिंह
25	बलवीरसिंह	धुण्ड	[illegible]
26	जगमोहनसिंह	धुण्ड	[illegible]
27	जगदीश लाल	कोटला	जगदीश
28	मुकेश लाल	कोटला	मुकेश
29	बचनलाल	कोटला	बचनलाल
30	रतनलाल	कोटला	रतन
31	सेवक लाल	कोटला	सेवक
32	साल्या लाल	कोटला	साल्या
33	चन्द्रमोहन लाल	कोटला	[illegible]
34	अन्तलाल	कोटला	अन्तलाल
35	जगनी लाल	कोटला	[illegible]

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत कोटला, वि0ख0 नौगाँव (उत्तरकाशी)) ह0/– ग्राम प्रधान

क्र०	नाम	ग्राम	हस्ताक्षर
40	सुभाष कुमार	कोटला	(हस्ताक्षर)
41	ब्रजमोहन	कोटला	ब्रजमोहन
42	प्रतापसिंह	धौराली	प्रतापसिंह
43	रणवीरसिंह	धौराली	(हस्ताक्षर)
44	रूपपालसिंह	धौराली	रूपपालसिंह
45	प्रीतमसिंह	धौराली	(हस्ताक्षर)
46	राजवीरसिंह	छुण्ड	राजवीर
47	रविन्द्रसिंह	जावली	(हस्ताक्षर)
48	ईश्वरमोहनसिंह	जावली	(हस्ताक्षर)
49	स्वजानसिंह	जावली	(हस्ताक्षर)
50	भरतसिंह	कोटला	भरतसिंह
51	विजयपालसिंह	कोटला	विजयपाल
52	दिपेन्द्रसिंह	छुण्ड	(हस्ताक्षर)
53	किरपेन्द्रसिंह	छुण्ड	(हस्ताक्षर)
54	सेगसिंह	धौराली	सेगसिंह
55	देवानसिंह	कोटला	देवानसिंह
56	अतोलसिंह	कोटला	अतोलसिंह
57	चैनसिंह	कोटला	चैनसिंह
58	सेकन्दान	जावली	
59	दिवानसिंह	धौराली	(हस्ताक्षर)
60	गिलाकसिंह	जावली	(हस्ताक्षर)
61	कृष्ण लाल	जावली	(हस्ताक्षर)
62	हरिमोहनसिंह	छुण्ड	(हस्ताक्षर)
63	प्रतापसिंह	कोटला	(हस्ताक्षर)
64	जगवीरसिंह रावत	कोटला	(हस्ताक्षर)
65	कुलदेवसिंह	छुण्ड	(हस्ताक्षर)
66	अतोलसिंह	छुण्ड	(हस्ताक्षर)
67	गोविन्द राम	कोटला	गोविन्द
68	हीरा लाल	कोटला	हिरपाल
69	श्यामलाल	कोटला	(हस्ताक्षर)
72	ओमप्रकाश	कोटला	(हस्ताक्षर)
73	राजेन्द्र लाल	"	(हस्ताक्षर)
74	दिपक कुमार	"	दिपककुमार
75	जीतसिंह	"	(हस्ताक्षर)
76	प्रेमसिंह	"	प्रेमसिंह
77	कालू	"	
78	प्रवीनसिंह	धौराली	(हस्ताक्षर)
79	रणवीरसिंह	धौराली	(हस्ताक्षर)
80	ऐनसिंह	"	(हस्ताक्षर)
81	सोवेन्द्रसिंह	"	सोवेन्द्रसिंह
82	दिपेन्द्रसिंह	"	दिपेन्द्रसिंह
83	वचनसिंह	"	वचनसिंह
84	जगतसिंह	"	जगतसिंह
85	दिरपालसिंह	"	(हस्ताक्षर)
86	जयदेवसिंह	जावली	(हस्ताक्षर)
87	उपेन्द्रसिंह	"	उपेन्द्रसिंह
88	अतीनसिंह	जावली	(हस्ताक्षर)
89	जयपालसिंह	जावली	जयपालसिंह
90	सुबलचन्द	कोटला	सुबलचन्द
91	कमल चन्द्र	कोटला	कमलचन्द्र
92	सेगसिंह	कोटला	सेगसिंह
93	तुलाचन्द	कोटला	तुलाचन्द
94	आवदिया	कोटला	(हस्ताक्षर)
95	अनिल	कोटला	(हस्ताक्षर)
96	रविन्द्रसिंह	कोटला	रविन्द्र
97	आजादसिंह	धौराली	आजादसिंह
98	अतरसिंह	धौराली	अतरसिंह
99	गिरीशसिंह	धौराली	(हस्ताक्षर)
100	चैनसिंह	धौराली	(हस्ताक्षर)
101	अमीनसिंह	धौराली	अमीन
102	सुरेन्द्रसिंह	धौराली	(हस्ताक्षर)
103	सुचेतसिंह	धौराली	(हस्ताक्षर)
104	गोविन्दसिंह	धौराली	गोविन्द

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :–

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बड़कोट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, बड़कोट

उपखण्ड बड़कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत कुड़ से कोटला मो० मार्ग 12.674 हे० आरक्षित वन भूमि, 3.415 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, ...हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 3.0415 हे० वन भूमि) का लो० नि० वि० बड़कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बड़कोट) की दिनांक ———— को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री ———— उपजिलाधिकारी ———— अध्यक्ष
2– श्री जी०पी० सिंह —उप प्रभागीय वनाधिकारी— उप प्रभागीय वनाधिकारी बड़कोट ——सदस्य
3– श्री आर०पी० गैरोला —सहायक समाज कल्याण अधिकारी— नौगांव —सदस्य/सचिव
4– श्रीमती राजकुमारी —बी०डी०सी० क्षेत्र— कोटी बनाल ——सदस्य

श्रीमती राजकुमारी
सदस्य, क्षे. पं. कोटी (बनाल)
वि. ख. नौगांव (उत्तरकाशी)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कुड़ से कोटला मोटर मार्ग निर्माण हेतु ———— परियोजना हेतु 3.0415 हे० वन भूमि लो० नि० वि० बड़कोट ——— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बड़कोट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्रविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बड़कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत कुड़ से कोटला मोटर मार्ग निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 3.415 हे० वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

Annexure-1

FORM-I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collecor Uttarkashi.

Name of Project- Kurh to Kotla Motor Road.

No.....34.............

Dated.27-12-2014

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (FoEF) Government of india's letter No 11-9/98-FC (pt-) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th february 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.0415** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division P.W.D. Barkot** for Construction of **Kurh to Kotla Motor Road** in Uttarkashi District falls within jurisdiction of **Kotla** village in **Barkot** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.0415** hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee (s) Gram sabha (s) Sub-Division Level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal groups and preagricultural communities.

Encl: As above

(C.Ravishankar)
District Magistrate,
Uttarkashi.

ANNEXURE

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Uttarkashi(U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. C. Ravishankar I.A.S District Magistrate Uttarkashi on date 09-12-2014 at Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring **3.0415** hect for the construction of **Kurh to Kotla Motor Road** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Barkot sub division** were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Uttarkashi
Dated:..27-12-14..

(C. Ravishankar)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committe
Uttarkashi.